



श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, कम्प इन्दौर

A- 403311/13

निगरानी प्रकरण क्रमांक : .....

दिनांक : 29/10/2013

मे. स्कॉलर्स यार्ड स्कूल  
द्वारा प्रकाश नांदेडकर निदेशक  
कार्यालय पता 5-ए, प्रेस कॉम्प्लेक्स  
ए.बी. रोड इन्दौर (म.प्र.)

..... प्रार्थी

विरुद्ध

1. सुरेश सेठ पिता किशनलाल सेठ  
चेयरमैन, इन्दौर समाचार, ए.पी.पी.प्रा.लि.  
निवासी : 17, न्यू देवास रोड इन्दौर (म.प्र.)

2. म. प्र. शासन जिला कलेक्टर  
इन्दौर

..... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 56 भारतीय दण्डनियम 1899

प्रार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि :-

यह कि, प्रार्थी का श्रीमान् न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प जिला इन्दौर द्वारा निगरानी में लिया गया प्रकरण क्रमांक 68/बी-103/12-13/33 में पारित आदेश दिनांक 25/09/2013 के विरुद्ध की जा रही है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक को न सुनते हुए प्रतिप्रार्थी क्र. 1 के पक्ष में निर्णय दिया गया है।

18/6/14

कृपया

अपीलांत अभिभाषक रचना उपरोक्त  
अनुपस्थित कोई उपस्थित नहीं। तीन बार  
पुकार लगायी गयी। अपीलांत अभिभाषक  
को अनुपस्थिति में पुकारा अदम पैरवी  
में स्वारिज किया जाता है।

उपस्थित

18/6/14